

Witness No.03.. for ...अभियोजन साक्षी...Deposition taken the...

06/05/2023..day ofशनिवार.....Witness apparent age 25 वर्ष...

States on affirmaton. शपथपत्र ...my name is.. खिलावन साहू

Wife/D/Son of..श्री टीकमचंद साहू.....occuption मजदूरी

address.,ग्राम कोटगांव, चौकी बिरेझर, थाना—कुरुद, जिला धमतरी छ०ग०।

राज्य द्वारा श्री भूपेन्द्र डहरिया एडीपीओ।

01. न्यायालय में अनुपस्थित आरोपीगण थानसिंग एवं मुकुंद साहू को पहचानता हूं, उक्त दोनों आरोपीगण को मैं जानता हूं। मैं प्रकरण के अन्य आरोपी मालिकराम साहू को भी जानता हूं, जिसे दोषमुक्त किया गया है।

02. घटना तीन—चार वर्ष पूर्व की है। घटना का दिन तारीख मुझे याद नहीं है। घटना गोर्वधन पूजा के दिन शाम 06—07 बजे की है। घटनास्थल पर दुकान है जहां पर मालिकराम, थानसिंग, मुकुंद साहू एवं लेखेन्द्र कुमार साहू का वाद विवाद हुआ था। थानसिंग के द्वारा लेखेन्द्र के पिताजी मोतीलाल साहू को गाली—गलौज किया गया था। लेखेन्द्र के द्वारा मना किये जाने पर मुकुंद साहू एवं मालिकराम आ गये और लेखेन्द्र के साथ गाली—गलौज करने लगे। गाली—गलौज करते हुए लेखेन्द्र से हाथ मुक्का से मारपीट किये जिसके कारण लेखेन्द्र को चोट आयी थी। घटना मेरे समक्ष ही हुआ था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री जीवराम ध्रुवंशी वास्ते अभियुक्तगण:—

03. यह कहना सही है कि आरोपी थानसिंग व लेखेन्द्र के पिताजी मोतीलाल

आपस में सगे भाई है। यह कहना सही है कि मोतीलाल विद्युत विभाग में पदस्थ थे जिसके संबंध में आरोपी थानसिंग द्वारा फर्जी नौकरी मोती लाल के द्वारा किया जा रहा है कहकर शिकायत किया था उक्त शिकायत के आधार पर मोतीलाल को नौकरी से निकाल दिया था।

04. यह कहना सही है कि थानसिंग एवं मोतीलाल के परिवार के मध्य वाद-विवाद होता रहता है। यह कहना सही है कि घटनास्थल पर मोतीलाल उपस्थित नहीं था। मैं घटनास्थल पर बीच-बचाव करने नहीं आया था।

05. यह कहना गलत है कि आज मैं लेखेन्द्र के बताये अनुसार बयान दे रहा हूँ।

वांचित/स्वीकृत।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/—

जनक कुमार हिड़को
न्या० मजि० प्रथम श्रेणी, कुरुद
जिला धमतरी छ०ग०

सही/—

जनक कुमार हिड़को
न्या० मजि० प्रथम श्रेणी, कुरुद
जिला धमतरी छ०ग०